भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *382**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

*382. **श्री रविन्दर कुशवाहा :**
श्री रवि किशन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक भारत के कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान कृषि निर्यात में होने वाली अत्यधिक वृद्धि से किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ड.) क्या सरकार ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों के साथ कोई परामर्श किया है; और
(च) यदि हां, तो कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में की गई विभिन्न पहलों तथा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात" के संबंध में दिनांक 30.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 382 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) से (ग) : केवल उन्हीं कृषि वस्तुओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनकी मॉनीटरिंग वाणिज्य विभाग के साप्ताहिक ट्रेड अलर्ट सिस्टम के तहत की जाती है। गेहूं, चीनी और कपास जैसे कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों को 'अन्य' श्रेणी में शामिल किया गया है और ऐसे उत्पादों के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं नहीं किए गए थे। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य नीचे तालिका में दिए गए हैं। वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

क्र.सं.	वस्तु	लक्ष्य 2021-22
1	चाय	1043
2	कॉफ़ी	1072
3	चावल	9468
4	अन्य अनाज	924
5	तंबाकू	1146
6	मसाले	4814
7	काजू	775
8	ऑयल मील्स	2340
9	तिलहन	1773
10	फल और सब्जियां	3325
1 1	अनाज की विनिर्मितियां और विविध प्रसंस्कृत मदें	2294
12	मांस ,डेयरी और कुक्कुट उत्पाद	4587
13	समुद्री उत्पाद	7809

वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान, कृषि उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 32.66 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 40.87 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है, जिससे 25.14% की वृद्धि दर्ज की गई। जिन उत्पादों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनमें से कुछ प्रमुख उत्पादों जैसे चावल; अन्य अनाज; कॉफ़ी; अनाज विनिर्मितियां और विविध प्रसंस्कृत मदें; मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद; तथा समुद्री उत्पाद का निर्यात वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे अथवा प्राप्त करने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। कुछ अन्य प्रमुख कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चीनी और कपास के निर्यात में वर्तमान वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) : कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की प्राप्तियों में सुधार होता है और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को निर्यात से लाभ हो, सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों / कंपनियों (एफपीओ / एफपीसी) और सहकारी समितियों को सीधे निर्यातकों के साथ वार्ता करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक किसान कनेक्ट पोर्टल आरंभ किया है।

(ड.) कृषि निर्यात नीति (एईपी) के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) ने कृषि निर्यात को बढ़ावा

देने के लिए अपनी संबंधित राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसियों को नामित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात हब के रूप में जिला (डीईएच) पहल का उपयोग कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की निर्यात निगरानी समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है और वाणिज्य विभाग, सीमा शुल्क, राज्य स्तर पर पादप/पशु संगरोध के तहत डीजीएफटी, स्वायत्त निकायों/ईपीसी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा समर्थित है। क्लस्टर स्तर पर, क्लस्टर सुविधा प्रकोष्ठ/समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक-कृषि/बागवानी और अन्य हितधारकों द्वारा की जाती है। अब तक कई राज्यों के क्लस्टर जिलों में 38 क्लस्टर स्तरीय समितियां गठित की गई हैं।

(च) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन गतिविधियों में सतत कार्यरत है और पिछले तीन वर्षों में एईपी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीडा "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम" लागू करता है। स्कीम के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, बाजार विकास तथा गुणवत्ता विकास आदि के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियाँ की जाती हैं और निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। एपीडा वर्चुअल व्यापार मेले, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक और जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ भी सहयोग कर रहा है । एपीडा ने निर्यात क्षमता और नए गंतव्यों के साथ नए उत्पादों के लिए परीक्षण शिपमेंट की सुविधा भी प्रदान की है। निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी के मुद्दे का समाधान करने के लिए, वाणिज्य विभाग ने एपीडा के तत्वावधान में एकल उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) की स्थापना की है। ईपीएफ में व्यापार/उद्योग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नियामक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों आदि से प्रतिनिधित्व है। चावल, केला, अंगूर, आम, प्याज, डेयरी उत्पाद, पोषक -अनाज, अनार और फूलों की खेती के लिए क्रमशः कुल 9 ईपीएफ का गठन किया गया है। एपीडा ने हाल के दिनों में कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ईरान आदि में कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीडा किसान समूहों को निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने और संभावित निर्यातक बनने में उद्यमियों की सुविधा के लिए एफपीओ/एफपीसी/एसएचजी/निर्यातकों के लिए राज्य विभागों, एसएयू, केवीके के सहयोग से कृषि निर्यात क्लस्टर और राज्यों में क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एपीडा ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनसीयूआई, एनसीडीसी, नाबार्ड, एएससीआई, क्यूसीआई, आईआईटी दिल्ली, आईसीएफए, एसएफएसी, ट्राइफेड और एएफसी इंडिया लिमिटेड जैसे कई संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं । एपीडा ने कृषि निर्यात के विकास हेतु संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग और डीजीएफटी के साथ तालमेल स्थापित करने के प्रयास भी किए हैं।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *384**
(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

जैविक कपास का उत्पादन

⁎384. श्री डी.एम.कथीर आनन्द :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविड -19 के उपरांत जैविक कपास के उत्पादन तथा उसके कृषि क्षेत्र में 300 से 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत का जैविक कपास उत्पादन एवं निर्यात कितना है और उसका मूल्य कितना है एवं इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी जैविक प्रमाणन एजेंसी ने हाल ही में जैविक कपास प्रमाणन में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का उल्लंघन किया था तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा जनवरी, 2022 में इसे निलंबित कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ)क्या जैविक प्रमाणन एजेंसियों ने क्षेत्र एवं उत्पादन के साथ उन उत्पादक समूहों को प्रमाणित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

⁎⁎⁎

"जैविक कपास का उत्पादन" के संबंध में दिनांक 30.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 384 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणित जैविक कच्चे कपास के अंतर्गत क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 153% की वृद्धि हुई, जबकि जैविक कच्चे कपास के उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 142% की वृद्धि हुई।

(ख) : एनपीओपी के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान मात्रा के संदर्भ में जैविक कच्चे कपास के उत्पादन का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

2018-21 के दौरान जैविक कपास का उत्पादन	
	उत्पादन मात्रा (एमटी)
राज्य	2020-21
मध्य प्रदेश	383,133.39
महाराष्ट्र	168,009.36
गुजरात	85,782.60
उड़ीसा	106,495.89
राजस्थान	59,173.79
कर्नाटक	2,998.09
तमिलनाडु	3,771.77
तेलंगाना	1,561.88
बिहार	7.47
कुल	**810,934.24**

स्रोत:ट्रेसनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों द्वारा प्रदान किया गया आंकड़ा

(ग) : जनवरी 2022 में, प्रमाणन कार्यक्रम में अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक गलतियों के कारण राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा एक प्रमाणन निकाय को निलंबित कर दिया गया था। प्रमाणन निकाय पर अधिरोपित निलंबन, एनपीओपी के प्रावधानों के तहत प्रमाणन प्रक्रियाओं में सिद्ध अनियमितताओं और जैविक उत्पादों के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र जारी करने में गलती पर आधारित था।

(घ) : जी हाँ। एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकाय कपास सहित उत्पादक समूहों, क्षेत्र और फसलों के उत्पादन को प्रमाणित करते हैं। उत्पादक समूहों के प्रमाणीकरण के लिए एनएबी द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकायों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों की सूची

क्र.सं.	प्रमाणन एजेंसी का नाम
1	ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्रा लिमिटेड
2	इकोसर्ट इंडिया प्रा लिमिटेड
3	आईएमओ कंट्रोल प्रा लिमिटेड
4	भारतीय जैविक प्रमाणन एजेंसी (इंडोसर्ट)
5	लैकॉन क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रा लिमिटेड
6	वनसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
7	एसजीएस इंडिया प्रा लिमिटेड
8	सीयू इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (19/12/2018 से प्रभावी)
9	उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (यूएसओसीए)
10	एपीओएफ जैविक प्रमाणन एजेंसी (एओसीए)
11	राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (आरएसओसीए) (*24-01-2019 से प्रभावी*)
12	वैदिक जैविक प्रमाणन एजेंसी
13	आईएससीओपी (जैविक उत्पादों के प्रमाणन के लिए भारतीय सोसायटी)
14	टीक्यू सर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फूडसर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
15	अदिति जैविक प्रमाणन प्रा लिमिटेड
16	छत्तीसगढ़ प्रमाणन सोसायटी, भारत (सीजीसीईआरटी)
17	तमिलनाडु जैविक प्रमाणन विभाग (टीएनओसीडी)
18	इंटरटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड
19	मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी
20	ओडिशा राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (ओएसओसीए)
21	प्राकृतिक जैविक प्रमाणन एग्रो प्रा. लिमिटेड
22	फेयर सर्ट सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23	गुजरात जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी (जीओपीसीए)
24	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी
25	कर्नाटक राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी
26	सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (एसएसओसीए)
27	ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी
28	ग्रीन सर्ट बायोसोल्यूशंस प्रा लिमिटेड
29	तेलंगाना राज्य जैविक प्रमाणन प्राधिकरण
30	बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी (बीएसएसओसीए)
31	विश्वसनीय जैविक प्रमाणन संगठन
32	भूमाथा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ब्यूरो (बीओसीबी)
33	बाल्टिक टेस्टिंग इंडिया प्रा लिमिटेड

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *387**
(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

चाय उद्योग को वित्तीय सहायता

*387. **श्री राजू बिष्ट :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय उद्योग को प्रदान की जा रही राजसहायता तथा वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुडी तथा अलीपुरद्वार जिलों में चाय उत्पादकों को दी जाने वाली कोई राजसहायता लंबित है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चाय बागान कामगारों के कल्याणार्थ आबंटित धनराशि तथा इसके उपयोग से संबंधित स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) छोटे और स्वतंत्र चाय उत्पादकों तथा उद्यमियों के लिए प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा छोटे उत्पादकों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा उनके लिए चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"चाय उद्योग को वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 387 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) के दौरान चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम के तहत पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन, जीर्णोद्धार, सिंचाई, मशीनीकरण, पारंपरिक चाय उत्पादन, चाय कारखानों की स्थापना, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), मूल्यवर्धन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए पात्र चाय हितधारकों को 245.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता (मानव संसाधन कल्याण घटक को छोड़कर) प्रदान की गई थी।

चाय बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों 2018-19 से 2020-21 के दौरान "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के तहत कल्याणकारी गतिविधियों को भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य कामगारों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, कामगारों के बच्चों की शिक्षा और उत्पादकों/श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस अवधि के दौरान चाय बागान के कामगारों और उनके बच्चों/आश्रितों के कल्याण के लिए 11.32 करोड़ रुपये के निधि आवंटन का 11,433 लाभार्थियों को कवर करते हुए पूर्ण उपयोग किया गया है।

चाय बोर्ड बजट प्रावधानों और अनुमोदित स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र चाय हितधारकों को सब्सिडी का संवितरण करता है। सभी मामलों में, जहां सब्सिडी मंजूर की गई थी, धनराशि का संवितरण कर दिया गया है। अतः उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग , जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों सहित कोई लंबित नहीं है ।

(घ) और (ड.): चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही टीडीपीएस स्कीम में परिव्यय में अन्य बातों के साथ-साथ छोटे चाय उत्पादकों को बढ़ावा देने और उनकी विशेष आवश्यकताओं का समाधान, विशेष रूप से मशीनीकरण के माध्यम से गुणवत्ता उत्पादन के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृद्धि पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रसंस्करण फैक्ट्रियों की स्थापना; चाय की गुणवत्ता की सुरक्षा के उद्देश्य से प्राथमिक उत्पादक समितियों/स्वयं सहायता समूहों का संगठन, कार्यशाला और प्रशिक्षण , मृदा परीक्षण , जैविक प्रमाणीकरण , जैविक रूपांतरण और अन्य उपायों का संगठन शामिल है। वर्ष 2017-18 से फरवरी, 2022 तक छोटे चाय उत्पादकों को 64.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। छोटे चाय उत्पादकों को मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाने के लिए फील्ड प्रबंधन कार्यप्रणालियां पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। छोटे उत्पादकों में जागरूकता पैदा करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। एक मोबाइल ऐप " चाय सहयोग " को छोटे चाय उत्पादकों सहित विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है ताकि बेहतर संचार, मूल्य की खोज, पता लगाने की क्षमता, प्रशिक्षण की आवश्यकता, मौसम पूर्वानुमान आदि सुनिश्चित किया जा सके। छोटे चाय उत्पादकों को हरी पत्ती के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति (डीजीएलपीएमसी) को जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में भारत के सभी चाय उत्पादक जिलों में अधिसूचित किया गया है। चाय बोर्ड के तहत एक अलग निदेशालय, जिसका मुख्यालय डिब्रूगढ़, असम में है, छोटे चाय उत्पादकों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4371

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

'कप लंप' को भारतीय मानक ब्यूरो मार्क

4371. श्री एंटो एन्टोनी:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'कप लंप' को भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क देने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में संबद्ध विभाग की प्रतिक्रिया क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हां, तो ऐसे प्राप्त हुए अनुरोध/अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ): कप लंप के लिए बीआईएस मानक तैयार करने से संबंधित मामले की जांच भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की तकनीकी समिति द्वारा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि कप लंप के लिए उत्पाद मानक व्यवहार्य नहीं है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4399

<u>दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

कृषि निर्यात संभावित क्षमता

4399.श्री धर्मवीर सिंह:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की कृषि निर्यात की संभावित क्षमता पर कोई अध्ययन किया है;
(ख) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन किस प्रकार का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) भविष्य में ऐसे अध्ययनों की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच कृषि व्यापार के दायरे का विस्तार करने संबंधी समझौते का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): वैश्विक पर्यावरण का आकलन करने और वैश्विक पण्यवस्तु और सेवाओं के व्यापार में भारत के हिस्से और महत्व को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने; अत्यावश्यक द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का प्रबंधन; और नए युग की नीति निर्माण को मुख्यधारा में लाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) का गठन किया गया । एचएलएजी ने सितंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वृहद सिफारिशों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र सहित क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशें शामिल थीं। इस स्तर पर आगे और अध्ययन की कोई योजना नहीं है।

(घ): अब तक, भारत ने कृषि उत्पादों सहित भारतीय उत्पादों के लिए वर्धित बाजार पहुंच के लिए अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 12 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमानी व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4419

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मूल्य–वर्धित जैविक उत्पाद

4419. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक मूल्य-वर्धित जैविक खाद्य निर्यात बाजार में भारत का योगदान प्रतिशत कितना है और फलों तथा सब्जियों की मूल्य वर्धित जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत से निर्यात किए जाने वाले विभिन्न मूल्य-वर्धित जैविक उत्पादों का वितरण प्रतिशत कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सर्वोच्च सौ मूल्य-वर्धित जैविक उत्पादों के निर्यात और आयात का राष्ट्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार एपीईडीए के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जैविक मूल्य-वर्धित शाकाहारी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात 1041 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें से प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात 588 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात कुल निर्यात का 56.48% था। इसमें जैविक प्रसंस्कृत फल, सब्जियां और चारा शामिल है। मूल्य वर्धित जैविक खाद्य उत्पादों पर वैश्विक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अधिदेशित किया गया है। एपीडा की वित्तीय सहायता स्कीम (2021-25) के तहत, एपीडा द्वारा जैविक उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया है और जैविक उत्पादों के निर्यातकों द्वारा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक संघटक को स्कीम में शामिल किया गया है।

(ख): वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से निर्यात किए गए विभिन्न मूल्य-वर्धित जैविक उत्पादों का प्रतिशत वितरण **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य-वर्धित जैविक उत्पादों के निर्यात का देश-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। जैविक उत्पादों के आयात पर आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ): जैविक मूल्य-वर्धित शाकाहारी उत्पादों सहित जैविक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अधिदेशित किया गया है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां अर्थात् एनपीओपी के तहत नए उत्पादों को शामिल करने, आयातक देशों से एनपीओपी मानकों को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से 'इंडिया ऑर्गेनिक' ब्रांड का संवर्धन करने, क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन करने, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रमों आदि का आयोजन भी करता है।

****

अनुबंध- I

प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों का निर्यात (2020-21)			
क्र.सं.	उत्पाद का नाम	निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	कुल मूल्य का%
1	खली खाद्य	478.04	81.24
2	फलों के गूदे/रस/डाइस	28.83	4.90
3	आटा (अनाज/बाजरा)	21.94	3.73
4	ग्लिसरीन	12.64	2.15
5	औषधीय पौधे उत्पाद	33.00	5.61
6	तैयार खाद्य	4.49	0.76
7	चावल का सिरप	1.19	0.20
8	ग्वारगम पाउडर	1.47	0.25
9	तेल	2.81	0.48
10	अन्य प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	2.02	0.34
1 1	कासनी	0.09	0.02
12	अन्य	1.90	0.32
	कुल	**588.42**	**100.00**

स्रोत: एपीडा

<u>अनुबंध- II</u>

प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों का देशवार निर्यात		
क्र.सं.	देश का नाम	निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2018-19		
1	अमेरीका	268.83
2	यूरोपीय संघ	43.83
3	कनाडा	27.37
4	ऑस्ट्रेलिया	1.59
5	वियतनाम	0.88
	अन्य देश	3.07
कुल		**345.56**
2019-20		
1	अमेरीका	207.69
2	यूरोपीय संघ	66.67
3	कनाडा	33.06
4	ऑस्ट्रेलिया	1.90
5	इजराइल	1.00
	अन्य देश	5.76
कुल		**316.08**
2020-21		
1	अमेरीका	359.55
2	यूरोपीय संघ	163.37
3	कनाडा	37.87
4	ग्रेट ब्रिटेन	12.65
5	कोरिया गणराज्य	3.17
	अन्य देश	11.81
कुलः		**588.42**

स्रोत: एपीडा

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4440

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पान मेथी को मसाला वस्तुओं में शामिल किया जाना

4440. **श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय मसाला बोर्ड को राजस्थान के नागौर की विश्व प्रसिद्ध 'पान मेथी ' को मसाला वस्तुओं में शामिल करने का निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का नागौर (राजस्थान) की मेथी की उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे जीआई टैगिंग देने का विचार है ;

(ड.) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार मौजूदा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए मसाला (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में हितधारको के साथ इस पर चर्चा की जा रही है। एक हितधारक से मसौदा विधेयक की अनुसूची-1 में 'पान मेथी ' को शामिल करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सुझाव पर विचार किया जाएगा।

(घ) से (च): भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण (जीआई) एक स्वैच्छिक कार्य नहीं है बल्कि जीआई अधिनियम और नियमों की रूपरेखा के तहत प्रदत्त कानूनी संरक्षण है। जीआई अधिनियम और नियमों की कानूनी रूपरेखा के अनुसार, इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत स्थापित उत्पादक संघ या किसी संगठन या प्राधिकरण द्वारा संबंधित माल के उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करते हुए भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के लिए भौगोलिक संकेतों के रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन किया जाना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को 'पान मेथी ' के लिए जीआई टैगिंग देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4445

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि निर्यात

4445. श्रीमती जसकौर मीना:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
(घ) इसके अंतर्गत शामिल किए जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है;
(ड.) इसके लिए अपेक्षित अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(च) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य विभाग के निर्यात हब के रूप में जिले पहल का उपयोग कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। वाणिज्य विभाग कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य स्कीम अर्थात निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है।

(ग) कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं। निर्यातकों के साथ किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है। निर्यात-बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए कलस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम का भी आयोजन किया गया है।

(घ) से (च) वाणिज्य विभाग वृक्षारोपण और समुद्री उत्पादों सहित सभी कृषि उत्पादों का निर्यात संवर्धन कर रहा है। कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और विभिन्न निर्यात एजेंसियों की ओर से सतत प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह के प्रयासों के लिए समय सीमा और निधि आवश्यकताओं को प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4508

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

बाजरे का निर्यात

4508 : कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए बाजरे की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के परामर्श से नए क्षेत्रों/देशों को शामिल करते हुए एक योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देश से बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क):पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश से निर्यातित बाजरे की मात्रा और मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

टन में मात्रा; मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य

आईटीसीएचएस कोड	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
10081010	बीज गुणवत्ता का अनाज	3.69	0.01	13.45	0.02	22.43	0.02	42.51	0.01
10081090	बीज के अलावा अनाज	6100.74	1.76	7215.27	2.28	1589.90	0.91	385.50	0.32
10082110	बीज गुणवत्ता का बाजरा (ज्वार)	1481.66	0.63	307.60	0.38	240.06	0.30	344.72	0.56
10082120	बीज गुणवत्ता का बाजरा (बाजरा)	22963.60	9.68	11666.71	6.29	8778.35	3.29	10082.02	3.71
10082130	बीज गुणवत्ता का बाजरा (रागी)	10534.40	3.23	9645.07	3.00	20190.20	6.01	18711.89	5.47
10082910	बीज के अलावा अन्य बाजरा (ज्वार)	306.71	0.16	416.97	0.26	701.30	0.35	908.17	0.44
10082920	बीज के अलावा अन्य बाजरा (बाजरा)	38863.59	11.10	40560.98	14.58	49658.50	14.42	44175.71	12.61
10082930	बीज के अलावा बाजरा (रागी)	2996.93	0.93	5174.68	1.94	5218.11	1.68	2018.43	0.75
10083010	बीज गुणवत्ता का बाजरा (कनेरी)	26.66	0.01	5.08	0.00	116.67	0.04	15.43	0.02
10083090	बीज के अलावा अन्य बाजरा (कनेरी)	169.49	0.12	268.56	0.29	1072.68	0.47	2304.24	0.99
कुल		**83447.47**	**27.63**	**75274.36**	**29.05**	**87588.20**	**27.50**	**78988.62**	**24.88**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ख) और (ग): बाजरा जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। सरकार ने एपीडा के तत्वावधान में पोषक अनाजों के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) की स्थापना की है, जिसमें बाजरा भी शामिल है। ईपीएफ में व्यापार/उद्योग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, विनियामक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों आदि का प्रतिनिधित्व होता है। निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों अर्थात संभावित बाजारों की पहचान, एसपीएस/टीबीटी मुद्दों, बाजार पहुंच के मुद्दों, निर्यात संवर्धन की योजना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि पर चर्चा करने के लिए ईपीएफ की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । ईपीएफ द्वारा की गई सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। बाजरे के निर्यातक भी एपीडा की निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता के हकदार हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4509

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

गेहूं का निर्यात

4509. डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः

श्रीमती क्वीन ओझाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वैश्विक बाजार में गेहूँ की बढ़ती मांग को देखते हुए गेहूं के निर्यात का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान निर्यात किए गए गेहूं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रबी फसल के आने वाले मौसम के मद्देनजर सरकार द्वारा गेहूं की कितनी मात्रा का निर्यात करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार, गेहूं का निर्यात 'मुक्त' श्रेणी के अंतर्गत है और इसलिए इसके निर्यात के लिए सरकार से किसी लाइसेंस/प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत से निर्यातकों ने बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए गेहूं का निर्यात किया है। सरकार गेहूं का निर्यात नहीं करती है, यह निर्यात उसके द्वारा केवल पात्र देशों को मानवीय सहायता–अनुदान के रुप में किया जाता है।

(ख) 2020–21 और 2021–22 (21 मार्च, 2022 तक) के दौरान गेहूं का निर्यात नीचे सारणीबद्ध विवरण में दिया गया हैः

मात्रा मीट्रिक टन में और मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

2020-21		2021-22 (21 मार्च, 2022 तक)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
21.55	567.93	70.35	2035.09

(ग) गेहूं सहित सभी मदों का निर्यात घरेलू उत्पादन/खपत, निर्यात के लिए अधिशेष, वैश्विक परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। इसलिए, आगामी रबी सीजन में निर्यात के लिए अधिशेष की मात्रा निर्धारित करना कठिन है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4522

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय निर्यात पर रुस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

4522. श्री हिबी ईडन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि रुस-यूक्रेन युद्ध के कारण विशेष रुप से रुस और यूक्रेन को की जाने वाली पारंपरिक चाय की पत्ती के निर्यात की मांग कम हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अकेले रुस देश से कुल चाय निर्यात का 20 प्रतिशत से अधिक आयात करता है और निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा कोच्चि बंदरगाह के माध्यम से भेजा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूक्रेन को कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है;

(घ) क्या सरकार भारतीय चाय के लिए नया बाजार खोजने के लिए कोई पहल कर रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या माल वहन की दरों में हाल में अत्यधिक वृद्धि के कारण भी निर्यातकों को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : निर्यात मांग पर रुस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का आकलन केवल स्थिति के स्थिर होने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) और (ग) : अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान भारत के कुल चाय निर्यात में रुस और यूक्रेन का हिस्सा क्रमश: 11.86% और 0.65% था। चाय निर्यात का प्रमुख हिस्सा कोलकाता के माध्यम से है।

(घ) और (ड.) : वाणिज्य विभाग चाय सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

(च) : उच्च माल-भाड़ा दरें निर्यात को प्रभावित कर रही है, तथापि, चालू वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान उच्च दरों के बावजूद हमारे निर्यातकों ने पण्यवस्तु निर्यात का अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड हासिल किया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4534

<u>दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

वाणिज्यिक निर्यात पर यूक्रेन-रूस संघर्ष का प्रभाव

4534. प्रो. सौगत राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूक्रेन-रूस संघर्ष से भारत का वाणिज्यिक निर्यात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संघर्ष से प्रभावित होने वाली वाणिज्यिक फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे निर्यातकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): केवल स्थिति के स्थिर होने के बाद ही निर्यात पर प्रभाव का आकलन किया जा सकता है।

(ग) और (घ): निर्यातकों के साथ शामिल मुद्दों को समझने तथा अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए नियमित बातचीत की जा रही है। डीजीएफटी ने रूस-यूक्रेन व्यापार मुद्दों के लिए एक हेल्पडेस्क का संचालन किया है जो ऑनलाइन ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली का उपयोग करके टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर तथा ई-मेल द्वारा प्राप्य है।

******

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं० 4561**

<u>दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

फार्मास्युटिकल उत्पादों का आयात

4561. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भेषज (फार्मास्युटिकल) उत्पादों के आयात का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत औषधि आयात के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह;

(ग) क्या सरकार का आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए विनिर्दिष्ट भेषज क्षेत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फार्मा क्षेत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

****

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फार्मास्युटिकल उत्पादों का आयात निम्नानुसार हैः

वर्ष	**मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में**
2018–19	6359
2019–20	6460
2020–21	6975

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात का देश–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है।

(ख) भारत चीन से बल्क औषधियों और औषध मध्यवर्तियों का कच्चे माल और तैयार उत्पादों के रुप में आयात घरेलू खपत और निर्यात दोनो के लिए करता है।

(ग) और (घ): देश को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फार्मास्युटिकल विभाग ने क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करके बल्क औषध सहित फार्मास्युटिकल औषधों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित चार स्कीम लांच की है ताकि इनकी सतत घरेलू आपूर्ति का सुनिश्चित किया जा सके जिससे अन्य देशो पर भारत की आयात निर्भरता कम होः–

(i) भारत में घरेलू महत्वपूर्ण प्रमुख सामग्रियों (केएसएम)/औषध मध्यवर्तियों (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढावा देने के लिए उत्पादन से जुडो प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत 41 केएसएम/डीआई और एपीआई के विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रु. है तथा स्कीम की अवधि वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2029–30 तक है।

(ii) बल्क औषध पार्कों के संवर्धन की स्कीम सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन हेतु 3 बल्क औषध पार्कों को प्रत्येक पार्क हेतु 1000 करोड़ रु. अथवा सीआईएफ की परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि की अधिकतम सीमा के साथ, जो भी कम हो, अनुदान सहायता के रुप में प्रदान करतो है। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90 प्रतिशत है। स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रु. और स्कीम की अवधि वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 है।

(iii) फार्मास्युटिकल हेतु उत्पादन से जुडो प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य की वस्तुओं के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देना तथा साथ ही भारत के बाहर वैश्विक चैंपियन कंपनियों को सृजित करना है जिनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आकार और स्केल में बढ़ने की क्षमता हो जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश किया जा सके। स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और स्कीम को अवधि वित्तीय वर्ष 2020–2021 से 2028–29 तक है।

(iv) फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ करने संबंधी स्कीम (एसपीआई) का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करना है। इस स्कीम में तीन घटक/उप–योजनाएं शामिल हैं, जिनमें से एक घटक ''सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ)'' है जिसका उद्देश्य ''सामान्य सुविधाओं'' के रुप में भौतिक परिसंपत्ति सृजित कर मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टर की क्षमता को उनके निरंतर विकास के लिए मजबूत करना है। प्राथमिकता के क्रम में इस उप–योजना के तहत पात्र कार्यकलापों की उदाहरणात्मक सूची अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, फार्मा उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं, अपशिष्ट उपचार सयत्र, संभारतंत्र केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र है। स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 500 करोड़ रुपये है और स्कीम की अवधि वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक है।

*****

अनुलग्नक–I

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4561 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान शीर्ष 25 देशों से मूल्य के अनुसार फार्मास्युटिकल उत्पादों का आयात

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	देश	2018-19	2019-20	2020-21
1	चीन लोक गणराज्य	2630.6	2562.8	2903.4
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	630.0	631.1	564.4
3	बेल्जियम	308.2	358.2	380.4
4	स्विट्जरलैंड	349.6	354.5	394.0
5	जर्मनी	335.0	319.1	275.6
6	यू क	119.0	126.0	120.6
7	सिंगापुर	211.7	210.2	191.6
8	स्पेन	84.2	97.6	118.9
9	नीदरलैंड	168.6	172.0	173.4
10	इटली	204.4	220.6	186.9
11	फ्रांस	202.5	205.1	231.1
12	डेनमार्क	108.0	129.4	131.9
13	कोरिया गणराज्य	97.0	99.4	339.0
14	जापान	92.3	112.6	94.3
15	इंडोनेशिया	100.8	127.9	89.2
16	रूस	3.7	6.4	6.7
17	ऑस्ट्रिया	36.0	53.8	66.5
18	हांगकांग	89.0	61.5	77.4
19	ब्राजोल	67.7	87.9	91.8
20	आयरलैंड	57.2	60.9	56.2
21	ताइवान	39.7	42.2	46.7
22	स्लोवेनिया	28.2	41.1	60.6
23	स्वीडन	14.1	22.6	19.0
24	मलेशिया	31.8	33.5	29.9
25	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	18.2	22.5	34.5

*स्रोत: डीजीसीआईएंडएस *अनंतिम*

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4587

दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी शर्तें

4587. श्री खगेन मुर्मु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी शर्तों में बदलाव की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) संपूर्ण व्यापार के लिए 'व्यापार की निवल शर्तों ' का रखरखाव करती है और कृषि उत्पादों के लिए व्यापार की शर्तें अलग से प्रकाशित नहीं की जाती हैं। इस स्तर पर कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4596

<u>दिनांक 30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>
<u>मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022</u>

4596 : श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसाला बोर्ड अधिनियम, 1968 का निरसन और मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 के अधिनियम पर प्रकाशित मसौदे पर कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो आपत्तियों/सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल राज्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
<u>(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क) और (ख): दिनांक 23-03-2022 की स्थिति के अनुसार, मसौदा स्पाइसेस (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 पर 486 हितधारकों/आम जनता से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

मसौदा स्पाइसेस (संवर्धन और विकास), विधेयक 2022 को व्यापक परामर्श और आम जनता/हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए टिप्पणियों के प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम तिथि 09-04-2022 निर्धारित कर वाणिज्य विभाग और स्पाइसेस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर होस्ट किया गया है।

(ग) और (घ): केरल सरकार ने मसौदा स्पाइसेस (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया है।

केरल सरकार द्वारा चिह्नित किए गए संशोधनों/सुझावों में स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन स्कीमों को केवल इलायची तक सीमित करना; मसाला उत्पादन, विशेष रूप से जैविक मसालों को बढ़ावा देने के लिए स्पाइसेस बोर्ड और राज्य संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहक्रिया; राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इलायची सम्पदा के स्वामियों के पंजीकरण की वैधता पर आशंकाएं; मसालों के आयात और निर्यात के संबंध में केंद्र सरकार के लिए स्पाइसेस बोर्ड से परामर्श करने का प्रावधान ; मसालों के आयात को निषेध/नियंत्रित करने के लिए एक धारा को जोडना; इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 को रद्द करना और मसौदा विधेयक की धारा 2, 3, 6, 8, 9,14 और 21 में कतिपय बदलाव / परिवर्धन शामिल हैं।

****